कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

सूचना

ज्ञापांक–1-2/2015–   /परि0

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–836 दिनांक–05.02.2018 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा–(3)(c-a) में निहित उपबंध के अनुपालन में मंजिली गाड़ियों को चलाने के लिए राज्य में कुल–3284(तीन हजार दो सौ चौरासी) अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों (भाया सहित) को निन्हित (Formulate) किया गया है, जिसकी सूची परिवहन विभाग, बिहार, पटना के वेब साईट (transport.bih.nic.in) पर उपलोड है। निर्गत अधिसूचना में परमिट निर्गत करने के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा दिया गया दूरी प्रमाण–पत्र मान्य होने का भी उल्लेख है।

उपरोक्त विभागीय अधिसूचना में निहित निर्देश के अनुपालन में इस प्राधिकार में मंजिली गाड़ी चलाने के लिए परमिट स्वीकृत करने हेतु दिनांक–01.3.2018 तक दाखिल आवेदनों की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पाया गया कि कई आवेदनों का प्रस्तावित मार्ग विभाग द्वारा चिन्हित मार्गों की सूची में नहीं है। साथ ही आवेदन में उल्लिखित प्रस्तावित मार्गीय दूरी के संबंध में पथ निर्माण विभाग द्वारा दिया गया दूरी प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। इसी प्रकार कई आवेदकों द्वारा विभागीय अधिसूचना में के आलोक में आवेदन संशोधित करने हेतु एक अवसर देने का भी अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशानुसार वैसे सभी आवेदक/वाहन स्वामी जिन्होंने मंजिली गाड़ी चलाने के लिए परमिट स्वीकृत करने हेतु प्राधिकार में दिनांक–01.03.2018 तक आवेदन समर्पित किये हैं, उन्हें उपरोक्त विभागीय अधिसूचना के आलोक में आवेदन संशोधित करने का एक अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि दिनांक–20.03.2018 तक विहित शुल्क के साथ संशोधित आवेदन सभी आवश्यक मान्य कागजात के साथ अपराह्न 4:30 बजे तक कार्यालय में समर्पित कर दें।

निर्धारित तिथि तक संशोधित आवेदन आदि समर्पित नहीं करने की स्थिति में दाखिल आवेदन अस्वीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग द्वारा चिन्हित मार्गों की सूची उक्त वेब साईट से डाउनलोड की जा सकती है।

ह0/–
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक–1-2/2015– 124 **/परि0, दिनांक–** 06.03.2018

प्रतिलिपि– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि एन0आई0सी0, दरभंगा के वेबसाईट के आर0टी0ए0 लिंक उक्त सूचना की अपलोड करवाना सुनिचित करें। सूचना की सॉफ्ट कॉपी संलग्न है।

6.3.18

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।